

**कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी बागपत वन प्रभाग बागपत।**  
**पत्रांक 2778/14-1 दिनांक बागपत 03 जून 2016।**

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
 सा0 वा0 प्रभाग मेरठ वृत्त,  
 मेरठ।

**विषय:-** जनपद बागपत लो0नि0वे0 द्वारा मेरठ बागपत मार्ग किमी0 71 पर हिण्डन नदी पर प्रस्तावित सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग पर प्रस्तावित सेतु के दायी ओर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 1.215 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 30 वृक्षों के पातन की अनुमति।

**सन्दर्भ:-** मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्र सं0-2504/14525/2015/यू0पी0-128 दिनांक-24.05.2016 एवं आपका पत्रांक- 5175/14-1 दिनांक 27.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कथिपय आपत्तिया लगायी गयी जिनका बिन्दुवार निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-2718/14-1 दिनांक 30.05.2016 से अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत को लिखा गया था। उनके पत्रांक-904/10 सी0 दिनांक-02.06.2016 से प्राप्त संशोधित अनुपालन आख्या/अभिलेख के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

1	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक0 03.03.2016 के बिन्दु-1 की सूचना आनलाइन व आफलाइन पार्ट-1 में संशोधित नहीं की गयी है।	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक0 03.03.2016 के बिन्दु-1 की संशोधित सूचना आनलाइन अपलोड कर दी गयी है।एवं आफलाइन पार्ट-1 की चार प्रतियो मे हस्ताक्षरित कर प्रेषित।
2	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु-2 की सूचना संशोधित नहीं की गयी है। पार्ट-2 पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे ऑनलाइन परीक्षण नहीं हो पाया है।	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु-2 की सूचना संशोधित कर दी गयी है। पार्ट-2 पोर्टल पर प्रदर्शित है।
3	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु-3 के क्रम में आफलाइन प्रपत्र के भाग-3 पर वन संरक्षक द्वारा मूल हस्ताक्षर कर सील अंकित नहीं की गयी है।	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु-3 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
4	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु-9 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयुक्ता संलग्न नहीं की गयी है।	भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दि0 03.03.2016 के बिन्दु-9 के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयुक्ता प्रमाण पत्र चार प्रतियो मे संलग्न कर प्रेषित है।

अतः उक्त के क्रम में संशोधित अनुपालन आख्या/अभिलेख संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी  
 बागपत वन प्रभाग  
 बागपत

पत्रांक / दिनांक

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता,प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागपत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी  
 बागपत वन प्रभाग,  
 बागपत